कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
2 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्याः 2699 /XXV–12(Part-6)/2008 देहरादून : दिनांक 11 दिसम्बर, 2017.

सेवा में,

श्री विनय कुमार सैनी,
पुत्र श्री चमन लाल,
ग्राम–ज्वाहर खान उर्फ झीवरहेडी,
पो0–सुल्तानपुर कुन्हारी,
जनपद–हरिद्वार।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक सहायक आयुक्त/लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या– 698/रा0नि0आ0–1/2237/2017 दिनांक 06–12–2017 जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त के कम में सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–01 में चाही गयी उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा निर्वाचन–2012 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी जिनके द्वारा चुनाव संबंधी व्यय का व्योरा प्रस्तुत न करने के कारण की निर्हरित किया गया है, की सूची एवं आयोग द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता संबंधी शासनादेश की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
04–सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–05 पृष्ठ यथोपरि।

B S Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

karki

[1][**10क. निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता**----यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति--

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

11. निरर्हता की कालावधि को हटाना या कम करना---निर्वाचन आयोग उन कारणों के लिए, जो अभिलिखित किए जाएंगे इस अध्याय के अधीन [2][(सिवाय धारा 8क) के अधीन,] की किसी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा ।

अध्याय 4----मत देने के लिए निरर्हताएं

[1][**11क. दोषसिद्धि और भ्रष्ट आचरणों से उद्भूत निरर्हता**----[3][(1)] यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्----

[4]*** भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 171ङ या धारा 171च अथवा इस अधिनियम की धारा 125 या धारा 135 के अधीन या धारा 136 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, [5]***

[6]* * * * * *

तो वह, दोषसिद्धि की तारीख से या उस तारीख से जिसको वह आदेश प्रभावशील होता है, छह वर्ष की कालावधि के लिए, किसी भी निर्वाचन में मत देने से निरर्हित होगा ।

[7][(2) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रपति के किसी आदेश द्वारा किसी कालावधि के लिए निरर्हित व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत देने से उसी कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

(3) किसी व्यक्ति द्वारा संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता की बाबत धारा 8क की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर राष्ट्रपति का विनिश्चय, जहां तक हो सके इस अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन, जैसा कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के प्रारम्भ के ठीक पहले था, किसी निर्वाचन में मत देने के लिए उसके द्वारा उपगत निरर्हता की बाबत, उसी प्रकार लागू होगा मानो ऐसा विनिश्चय मत देने के लिए उक्त निरर्हता की बाबत विनिश्चय हो।]

[1][**11ख. निरर्हताओं का हटाया जाना**-----निर्वाचन आयोग उन कारणों के लिए, जो अभिलिखित किए जाएंगे, [8][धारा 11क की उपधारा (1) के अधीन किसी निरर्हता] को हटा सकेगा ।]

[9][भाग 3

साधारण निर्वाचनों की अधिसूचना

12. राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए अधिसूचना-----राज्य सभा के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात् निवृत्त हो रहे हैं, राष्ट्रपति ऐसी तारीख या तारीखों को, जिसकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा हर एक संपृक्त राज्य को, यथास्थिति, विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से या निर्वाचकगण के सदस्यों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना उस तारीख से तीन मास से अधिक पूर्व न निकाली जाएगी जिस तारीख को निवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि का अवसान होना है ।

---

[1] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 20 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित ।
[2] 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित ।
[3] 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 4 द्वारा धारा 11क को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
[4] 1978 के अधिनियम सं0 38 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा "(क)" अक्षर और कोष्ठकों का लोप किया गया ।
[5] 1978 के अधिनियम सं0 38 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा "या" शब्द का लोप किया गया।
[6] 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 4 द्वारा खंड (ख) का लोप किया गया।
[7] 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित ।
[8] 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 5 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 7 द्वारा भाग 3 (धारा 12 से धारा 18) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्राप्त - 23/10/17

By Speed Post/e-mail

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.116/ECI/EEM/CEMS-I/FUN/DISQ/2017 Dated : 12th October, 2017

To

The Chief Electoral Officer of
All States and Union Territories.

Subject:- Updated list of disqualified persons under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 - Regarding.

Madam/Sir

I am directed to forward herewith updated list of persons disqualified under section 10A of the Representation of People Act, 1951 for official use of the Returning Officers and other election authorities concerned.

2. In those cases where elections have been announced by the Commission, copies of the list may be immediately made available to the Returning Officers etc. for reference by them, alongwith the consolidated/updated list of persons disqualified as upto the date & issue of this letter.

3. The list of disqualified persons is also available on Commission's website www.eci.nic.in and can be viewed under the heading **Judicial Reference – List of Disqualified Persons.** Any change in the list after the date of issue of this letter can be viewed on the Commission's website under the heading **Judicial Reference – List of Disqualified Persons Supplementary List.** You are requested to provide soft copies of the list (together with the hard copies) to the Returning Officers well before the notification of election.

A.C.E.O

(राधा रतूड़ी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड
23-10-17

Yours faithfully,

(SANTOSH KUMAR DUBEY)
UNDER SECRETARY

S.D (R)

25/10/17
ACEO

23-10-17

ASSAM-HOUSE OF THE PEOPLE

Sl No.	Number and name of constituency from which the person contested election	Name and address of disqualified persons	Date of Disqualification	Date on which the period of disqualification will expire.
AS-1	04-Dhubri PC	Shri Kashem Ali Akonda, Vill Khorida Gossaigaon, Ward No.2, Chapar, PO & PS Chapar, Distt. Dhubri, Pin-783371 (Assam)	19.11.2014	19.11.2017
AS-2	04-Dhubri PC	Shri Monirul Hussain, Vill. Kalapakani Pt-II, PO Patamari, PS & Distt. Dhubri, Pin-783324 (Assam)	19.11.2014	19.11.2017
AS-3	04-Dhubri PC	Shri Ram Ekbal Shahani, Ward No.11, Dhubri, PO-PS-Distt. Dhubri, Pin-783301 (Assam)`	19.11.2014	19.11.2017
AS-4	04-Dhubri PC	Shri Kasir Uddin SK, Vill. Modhusoulmari Pt-I, PO Modhusoulmari, PS Gauripur, Distt. Dhubri, Pin-783331	19.11.2014	19.11.2017
AS-5	14-Lakhimpur PC	Shri Keshab Gogoi, Vill. Bhutorbari, PO Gutung, Distt. Dhemaji, Assam, Pin-787057	19.11.2014	19.11.2017
AS-6	02-Silchar PC	Shri Kutub Ahmed Mazumder, Vill Badripar, Pt-V, PO Badripar, PS Silchar, Distt. Cachar, Pin-788009 (Assam)	08.12.2014	08.12.2017
AS-7	02-Silchar PC	Shri Kamal Das, Rana Pratap Lane, National Highway, PO Vivekananda Road, PS Silchar, Distt. Cachar, Pin-788007 (Assam)	08.12.2014	08.12.2017
AS-8	02-Silchar PC	Shri Madhu Sudhan Das, New Bhakatpur, PO Bhakatpur, PS Silchar, Distt. Cachar, Pin-788005 (Assam)	08.12.2014	08.12.2017
AS-9	12-Jorhat PC	Shri Nasir Ahmed, Ward No.1(Part), Jorhat Town, PO Jorhat, Distt. Jorhat (Assam)	08.12.2014	08.12.2017

UKD-87	12-Pratapnagar	Madan Singh, Vill.-Kordi, Patti-Rounad Ramoli, Tehsil-Pratapnagar, (T.G), Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-88	13-Tehri	Asha, Vill.-Dargi, P.O.-Ranichauri, Patti-Makhlogi, Tehri Garhwal, Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-89	13-Tehri	Shivdayal Bahuguna, Vill.-Sabli, Patti-Bamund, P.O.-Sabli, Tehri Garhwal, Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-90	14-Dhanolti	Usha Panwar, Vill.-Jaidwar, Patti-Silwad, T.G Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-91	14-Dhanolti	Yeshveer Arya, 24/2, Kenal Road Jakhan, Dehradun Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-92	14-Dhanolti	Chintamani, Vill.-Dharaogi, P.O.-Kausal, Patti-Gosian, Tehri Garhwal Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-93	14-Dhanolti	Surajmani, Vill.-Ontan, P.O.-Bangseel, Patti-Paligad, Tehri Garhwal Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-94	26-B.H.E.L Ranipur	Janak Singh, 19/A, Balbir Singh Road Dehradun, Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-95	27-Jwalapur (S.C)	Pradeep Kumar, Vill.- 59, Jheebarhedi Tehsil Laksar, Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-96	27-Jwalapur (S.C)	Jag Jeevan , Moh. Karaccha, Jwalapur, Near-Amedkar Cowk, Jwaalapur Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-97	27-Jwalapur (S.C)	Raju Singh, Vill.- Raisi Tehsil- Laksars Uttarakhand	07-06-2016	07-06-2019
UKD-98	29-Jhabrera (S.C)	Budh Singh, Vill.- Kotwal Alampur Distt.- Haridwar, Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019

UKD-99	29-Jhabrera (S.C)	Satyapal, Vill. & Post- Nanhera Anantpur Distt.- Haridwar, Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-100	29-Jhabrera (S.C)	Sanjay Kumar, Shakti Vihar Padli Gujjar Post-Milap Nagar Distt.-Haridwar Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-101	30-Piran Kaliyar	Mohd. Iqbal, Vill.-Bhagwanpur, Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-102	31-Roorkee	Naveen Jain, A-23 Subhash Nagar, Roorkee (Haridwar) Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-103	32-Khanpur	Nar Singh, 55 Niyamatpur Post- Laksar Distt.-Haridwar Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-104	32-Khanpur	Sayeed Hassan, Vill-Jasodarpur P.O. Sultanpur Adampur Tehsil & Distt. Haridwar, Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-105	33-Manglore	Anil Kumar, Village and Post-Sherpur Khelmau, Town Jhabrera, , Distt. Haridwar, Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-106	34-Laksar	Gulam Rasool, H.No. 109, Makhiyali Kala Teh. –Laksar, Distt. Haridwar, Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-107	34-Laksar	Rajkumar Saini, Vill-Jhewarheri, Teh. Laksar, Distt. Haridwar, Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-108	35-Haridwar Rural	Aladdin, Gadowali P.O. Bahadarpur Jatt District Hardwar, Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-109	35-Haridwar Rural	Ravidutt Bakshi, Aryanagar, Jwalapur District Hardwar, Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD-110	39-Chaubattakhal	Bharat Bhushan, Vill. & Pinani Patty Gududhodsyun, Pauri Garhwal Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019

पंजीकृत डाक से

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : ——— / रा.नि.आ.-1/2237/2017

दिनांक 7/12/2017

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

श्री विनय कुमार सैनी, पुत्र श्री चमन लाल,
ग्राम–ज्वाहर खान ऊर्फ झीवरहेडी,
पो0–सुल्तानपुर कुन्हारी,
जनपद–हरिद्वार।

कृपया अपने सूंचना के अनुरोध पत्र दिनांक 24.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 04.12.2017 को प्राप्त हुआ है। जिसमें आप द्वारा 01 **बिन्दु** की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा निर्वाचन में जिन प्रत्याशियों द्वारा अपना निर्वाचन व्यय विवरण जमा नही किया जाता उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किया जाता है न कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। अतः आपके अनुरोध पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या–1 से सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय में धारित नही है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हों तो, पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, के समक्ष अपील दायर कर सकते हैः–

श्री बी0पी0 कोठारी,
अनु सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।
दूरभाष नं0–0135–2670998 मो0 7534820707
संलग्नक

(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820739

संख्या–698/रा0नि0आ0–1/2237/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अनुरोध–पत्र दिनांक 24.11.2017 की छायाप्रति इस आशय से अन्तरित की जा रही है कि उक्त अनुरोध पत्र के **बिन्दु संख्या–01** में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–अनुरोध–पत्र की छायाप्रति।

A.R.O-I(K)
कृपया उपरोक्तानुसार ... आवेदक को उपलब्ध करायें।
B S Rawat
08 Dec. 2017
P.ID.

07.12.17
(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820739

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास ,रिंग रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135 - 2670457 , 2670998
टैलीफैक्स : 0135 - 2670920 , 2678945
ई - मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

250/डिस्पैच
4.12.17

सूचना अनुरोध पत्र

दिनांक 24-11-2017

प्रेषक – विनयकुमार सैनी पुत्र श्री चमनलाल, ग्राम जवाहर खां उर्फ शीवरहेडी, पो० सुल्तानपुर कुन्हारी, जनपद- हरिद्वार।

(2237)

प्रेषित – श्रीमान लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड, देहरादून।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

महोदय – निम्नलिखित सूचना से प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ प्रदान करने का कष्ट करें।

बिन्दु - 1. उत्तराखंड राज्य के अन्तर्गत 2012 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराये गये विधान सभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों द्वारा चुनाव से सम्बंधित खर्च का ब्यौरा निर्वाचन आयोग में जमा न करने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अग्रिम चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किये गये प्रत्याशी जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत / जिला पंचायत के पदों पर दिसम्बर 2015-16 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, उक्त से सम्बंधित शासनादेश की छायाप्रतिलिपि व लिखित में जानकारी।

विनय सैनी

संलग्न – शुल्क के रूप में 10 रु० का पोस्टल आर्डर क्रमांक 39 F 397444

सदस्य
R.T.I.
कल्ब उत्तराखण्ड रजि0
मो0-9219267655, 9458397787

श्री नयाल (3/1)

04.12.17

PIO
(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड।

Receiving
5/12/2017

पंजीकृत

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी पिथौरागढ़।

पत्रांक 1491 /उन्तीस–1(41)/2017 दिनांक 27 नवम्बर, 2017

प्रेषित,

श्री अमित आहलूवालिया,
निवासी होटल सिवा मेन रोड़ विकास नगर,
जिला देहरादून,
उत्तराखण्ड पिन–248198।

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक– 4 / 12 / 2017
रजिस्टर क्रमांक– 54 पत्रावली संख्या–

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 2584/XXV-12(1–5)/2008 दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जो आपको पृष्ठाकित है एवं समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को सम्बोधित है, के द्वारा में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 2 पर सूचना चाही गयी है।

बिन्दु संख्या–02 के कम में अवगत कराना है कि जनपद–पिथौरागढ़ में खराब ई0वी0एम0 की सूची संलग्न है।

उक्त सूचना से यदि असन्तुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है।

(संलग्न)

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का पता
उप जिला निर्वाचन अधिकारी पिथौरागढ़।

(सुनीता बिष्ट)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
पिथौरागढ़।
मोबाईल नम्बर– 9411349054

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक 2584/XXV-12(1–5)/2008 दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
पिथौरागढ़।